संख्या-10/2016/1122/एक-6-2015-142(03)/98 टी0सी0

प्रेषक,

डी0 के0सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियन्त्रक,
नागरिक सुरक्षा,
इलाहाबाद ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2016**

विषय: ग्राम बेली उपरहार स्थित राजकीय आस्थान के भूखण्ड संख्या-420 के आंशिक भाग-375 वर्ग मीटर में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय भवन एवं नियन्त्रण केन्द्र के निर्माण हेतु शर्त संख्या-04 को शिथिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-602/रा0आ0, दिनांक 14-7-2014 एवं पत्र संख्या-35/ना0सु0-भवन/2014 दिनांक 22-01-2015 एवं पत्र संख्या-399/ना0सु0-भवन/2015 दिनांक 27-07-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1776/एक-6-2003-142(3)/98-रा0-6 दिनांक 15-12-2003 द्वारा ग्राम बेली उपरहार स्थित राजकीय आस्थान के भूखण्ड संख्या-420 के आंशिक भाग-275 वर्गमीटर भूमि को नागरिक सुरक्षा विभाग को कार्यालय/नियन्त्रक केन्द्र के निर्माण हेतु 30 वर्ष के पट्टे पर अन्य शर्तो के अलावा इस शर्त पर दिया गया था कि भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत: निरस्त समझा जायेगा । इस शासनादेश के क्रम में अप्रैल, 2004 में लिखित पट्टा निष्पादित हुआ । आप द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा अपेक्षित बजट जारी न होने के कारण पंजीकृत पट्टा विलेख की शर्त के अनुरूप प्रस्तावित कार्य अभी तक नहीं कराया जा सका है। इसी के साथ आप द्वारा शर्त संख्या-4 को शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचार किया गया है कि सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 में इस प्रकार का पट्टा नि:शुल्क दिये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की व्यवस्था न होने के बावजूद प्रश्नगत भूमि का पट्टा 2004 में नागरिक सुरक्षा विभाग को दिया गया । शासनादेश संख्या-1776/एक-6-2003-142(3)/98-रा0-6 दिनांक 15-12-2003 एवं इस क्रम में निष्पादित पट्टे की शर्त संख्या-4 के अनुसार 03 वर्ष का समय व्यतीत होने के बावजूद भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। शासनादेश एवं पट्टे की शर्तो के अनुसार आवंटन स्वत: समाप्त हो गया है। पट्टा निष्पादित हुए 11 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गये हैं किन्तु अभी तक प्रश्नगत भूमि के उपयोग हेतु बजट आवंटित नहीं हुआ है। शासनादेश अथवा पट्टा विलेख में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अन्तर्गत पट्टे की शर्त का शिथिलीकरण किया जाये । अत: शासनादेश संख्या- 1776/एक-6-2003-142(3)/98-रा0-6 दिनांक 15-12-2003 में अंकित शर्त संख्या-4 को शिथिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 10/2016/1122(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र, लखनऊ
3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जवाहर भवन, पंचम तल, लखनऊ।
4- संयुक्त सचिव, नागरिक सुरक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।